न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प रीवा (म.प्र.)

निगरानी 159-III-15

जयपति गुप्ता पिता हरिदास गुप्ता निवासी ग्राम– कोतरकला, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) ——————— आवेदक

बनाम

1. श्रीमती सुभद्रा द्विवेदी पत्नी सुयज्ञ प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम– कोतरकला, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)
2. म0प्र0 शासन

——————— अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरूद्ध आवेदन अपर कलेक्टर महोदय सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक– 418/निगरानी/2011–2012 में पारित आदेश दिनांक– 30.09.2014

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निम्न पुनरीक्षण पेश है:–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया व न्याय के विपरीत है।

2. यह कि निर्विवाद विधिक स्थिति है कि नक्शा तर्मीम की कार्यवाही में आवेदित भूमि के चारों तरफ के सीमावर्ती काश्तकारान आवश्यक पक्षकार होते हैं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 159–तीन/2015 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01 –1–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर सीधी के प्रकरण कमांक 418/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30–9–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अपर कलेक्टर ने उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर आदेश दिनांक 30–9–14 को अंतिम आदेश पारित किया है। आवेदक ने अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 30–9–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 12–1–15 को अर्थात 42 दिन के विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपर कलेक्टर द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निराकरण किया है इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक को अपर कलेक्टर के आदेश की जानकारी नहीं थी। निगरानी प्रस्तुत करते समय विलम्ब के संबंध में म्याद अधिनियम की धारा 5 एवं उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जो विधिअनुसार अनिवार्य है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी समयावधि बाह्य होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	